न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–31/2010

हरबंस सिंह पुत्र तिरलोक सिंह जाति– बावरी निवासी चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।

––– वादी

बनाम्

1. दलीप सिंह पुत्र तिरलोक सिंह (मृतक)
1/1 जगर सिंह पुत्र तिरलोक सिंह
1/2 मिठु सिंह पि. दलीप सिंह जाति–बावरी निवासी हाल बिन्दोवाली तहसील लम्मी जिला मुक्तसर (पंजाब)।
1/3 रूडी बाई पत्नि जीवन सिंह पुत्री दलीप सिंह जाति बावरी निवासी फरीदकोट जिला फरीदकोट (पंजाब)।
1/4 लक्ष्मी बाई पत्नि मिठुसिंह पुत्री दलीप सिंह जाति बावरी निवासी सैणेवाला तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
1/5 कोडी बाई पत्नि चेतसिंह पुत्री दलीप सिंह जाति बावरी निवासी सैणेवाला तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
2. सरजीत कौर पुत्री तिरलोक सिंह पत्नि नानक सिंह जाति बावरी निवासी चन्नुवाला तहसील लम्बी जिला बठिण्डा (पंजाब)।
3. राजस्व तहसीलदार अनूपगढ़।

––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राज.काश्त. अधिनियम।

::निर्णय:: **दिनांक 28.11.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि वादी व प्रतिवादी सं 1व 2 के पिता तिरलोकसिंह व ताया अनूपसिंह को संयुक्त खाता मे चक 4 आर टी एम तहसील अनूपगढ का मुरबा नं. 258/428, व मुरब्बा नम्बर 257/428 के 50 बीघा भूमि भाखड़ा भूमिहीन की श्रेणी में आवंटित हुई थी। तिरलोक सिंह के फोत होने के बाद तिरलोक सिंह के वारिसान राजकौर पत्नि, तिरलोक सिंह के दो लडके [illegible] व दलीपसिंह व लड़की सरजीत कौर के नाम राजस्व रिकॉर्ड [illegible] भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। अनूपसिंह [illegible] चुका है, अनूपसिंह वा तिरलोक सिंह के दोनो मुरब्बों का घरेलू बंटवारा से वादी [illegible]तिवादी दलीप सिंह, सरजीत कौर व माता राजकौर ने बांट लिया था। इस घरेलू बंटवारा से मुरब्बा नं. 258/428 के 25 बीघा भूमि हरबंस सिंह व राजकौर ने ले ली थी ओर मुरब्बा नं. 257/428 की 25 बीघा भूमि दलीप सिंह व सरजीत कौर ने ले ली थी और इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:54 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर काबिज हो गये थे जो कब्जा आज तक चला आ रहा है। क्योंकि घरेलू बंटवारा में मुरब्बा नं.–258/428 हरबंस सिंह व राजकौर के हिस्सा में आया था इस लिये राजकौर ने उपरोक्त मुरब्बा में से अपने हिस्से के आधे हिस्से के 12 बीघा 10 बिस्वा की वसीयत अपने जीवनकाल में दिनांक 10.08.1984 को अपने लड़के हरबंस सिंह वादी के पक्ष में तस्दीक करवाई। यह वसीयत तहसीलदार राजस्व अनूपगढ द्वारा तस्दीकशुदा है। वसीयत की चित्र प्रति सलंग्न वादपत्र है। असल माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ दोरानें साक्ष्य प्रस्तुत की जायेगी। राजकौर का दिनांक 18.05.1992 को देहान्त को चुका है। मृत्यु प्रमाणपत्र की चित्र प्रति संल्गन वादपत्र है। वारिस प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत 74 जीबी जिसे अन्तर्गत वादाधीन भूमि आती है सलंग्न वादपत्र है। वसीयत का गवाह नानकराम की मृत्यु दिनांक 27.02.1992 को हो चुकी है व गवाह मूलाराम अब 4 आर टी एम में निवास नहीं करता और उसका कोई पता भी नहीं है। इसकी भी तस्दीक ग्रामपंचायत 74 जीबी संलग्न वादपत्र है। कार्यालय उपजिला कलेक्टर अनूपगढ का पत्र क्रमांक/ आवंटन/091/1170 दिनांक 03.06.2009 की चित्र प्रति व जांच रिपोर्ट उप पंजीयक अनूपगढ क्रमांक–153 दिनांक 25.06.2009 संलग्न वादपत्र है। मैं वादी ने, प्रतिवादीगण 1 वा 2 को दिनांक 20.07.2009 को बमुकाम चक 4 आर टी एम में कहा कि अब सरजीत कौर अपने ससुराल से यहां आई हुई है। अपने प्रार्थनापत्र देकर घरेलू बंटवारा व माता राजकौर की वसीयत के अनुसार भूमि का बंटवारा कर नामान्तकरण राजस्व विभाग से अपने नाम करवा ले तो दोनों प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और कहने लगे कि घरेलू बंटवारा से मुरब्बा नं. 258/428 जिस पर तू गत 33 वर्षो से काबिज है तेरे पास नहीं रहने देगे पर यही तारीख बिनाय मखास्मत दावा है बिनाय दावा मुझे वादी को मेरे पिता वा माता के फोत होने के रोज से प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 03 भू–धारक है इसलिये इसे पक्षकार दावा बनाया गया है। वादाधीन भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 एवं 2 कि तरफ से वकालतनामा पेश कर निवेदन किया कि चक 4 आर टी एम का मुरब्बा नं. 258/428 व मुरब्बा नं.–19 त्रिलोकसिंह के वारिसान हरबंस सिंह, दिलीपसिंह व सरजीत कौर, राजकौर पत्नि त्रिलोकसिंह के नाम से होना स्वीकार है तथा अनोपसिंह पुत्र दिवानसिंह के नाम से चक 4 आरटीएम का पत्थर नं. 257/428 मुरब्बा नं. 20 के 25 बीघा होना स्वीकार है। कभी भी ऐसा बंटवारा नही किया गया ना कभी हमने मुताबिक घरेलु बंटवारा कब्जा लिया बल्कि मुरब्बा नं 258/428 मुरब्बा नं. 19 के किला नं–4,5,6,7,14ता16,17,25 कुल 8.04 बीघा हिस्सा [illegible] को तथा किला नं 1,2,3,13,18,17,23,24 कुल 8.05 बीघा कमाण्ड भूमि हरबंस सिंह [illegible] मिली थी इसी के अनुसार काबिज है तथा मुरब्बा नं 20 पत्थर नं 257/428 अनोपसिंह को जरिए वसीयत वीरसिंह, जसवीर सिंह, जगर सिंह, पिसरान दलीप सिंह, गुरदी[illegible] सिंह, नसीब सिंह आदि को प्राप्त है उसी के अनुसार काबिज है। राजकौर पत्नि त्रिलोक सिंह पत्थर नं. –258/428 मुरब्बा नं. 19 में 1/4 हिस्सा की हकदार थी। इसलिए 11 बीघा की वसीयत करने की हकदार नही थी। ना ही ऐसी कोई वसीयत की गई यह वसीयत फर्जी व गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:54 IST
Reason: SelfAttested

है। पत्थर नं. 258/428 मुरब्बा नं. 19 कानूनी रूप में राजकौर व अन्य वारिसों के हिस्सेदार के नाम चढ़ चुका है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अपने हिस्सा अनुसार व कानूनी बंटवारा के बाद ही काबिज है जो आज तक काबिज है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या दावा काबिले खारिज के है। गलत तथ्यों पर पेश किया है जो काबिले निरस्ती के है। यह कि राजकौर की मृत्यु होना स्वीकार है। ग्राम पंचायत चक 65 जीबी है। वारिस प्रमाण पत्र चक 65 जीबी में जारी हुआ है। राजकौर पत्नि त्रिलोकसिंह को चक 4 आरटीएम का पत्थर नं. 258/428 मुरब्बा नं. 19 में कभी भी 12 बीघा भूमि प्राप्त ही नहीं थी तो वसीयत करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वसीयत फर्जी व कूटरचित, खिलाफ कानून होने के कारण अवैध है, तथा प्रतिवादीगण की जमीन पर लागू नही होती। दिनांक–20.07.2009 की तारीख मनगढत, गलतदर्ज की है। क्योंकि उक्त भूमि का बंटवारा पूर्व में सन् 1997–98 में ही हो चुका था तथा इंतकाल ही उनके अनुसार दर्ज हो चुका है। बंटवारा के कथन कतई झुठे, गलत बेबुनियाद दर्ज किये है जो दावा की नोईयत को पूरा करने की गर्ज से दर्ज किये गए है। चक 4 आरटीएम पत्थर नं.–258/428 मुरब्बा नं.–19 की 25 बीधा का इंतकाल विरास्तन दर्ज हो चुका है तथा बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा प्रकरण नं.–253/97 दिनांक 24.04.90 स्वीकार हो चुका है तो फिर दोबारा बंटवारा का प्रश्न ही पैदा नही होता है। क्योंकि पूर्व में मुताबिक कब्जा प्रतिवादीगण का शांतिपूर्वक चला आ रहा है तथा अब वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि में जबरन कब्जा की कोशिश की जिसका दावा श्रीमान् जी की अदालत में सरजीतकौर आदि बनाम हरबंससिंह जैरकार है जो धारा 188 आर.टी.एक्ट का है। वादीगण कभी भी किला नं.–1 के 16 बिस्वा, 2 के 18 बिस्वा, 3 के 16 बिस्वा, 4 के 18 बिस्वा, 5 के 18 बिस्वा 6ता9,10,11 के 18–18 बिस्वा,12ता19, 20, 21 के 18–18 बिस्वा 22ता25 कुल 24 बीघा कानूनी प्राप्त करने का कभी भी अधिकारी नही है, ना ही इंतकाल कराने का अधिकारी है। वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.–01 दलीपसिंह का देहांत हो चुका है। न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं.–01 के नाम के आगे लाल स्याही से मृत्तक का अंकन किया गया एवं प्रतिवादी सं.–01 के विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण प्रतिस्थापित किया गया।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:49:54 IST
Reason: SelfAttested

1. आया कि राजकौर ने दिनांक 10.08.1984 चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नं.–258/428 के 12.10 बीघा कृषि भूमि की वसीयत वादी [illegible] के पक्ष में निष्पादित की।

—जिम्मे वादी

2 .आया कि वादी चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ के संयुक्त खाता के रकबा मुरब्बा नं.–258/428 व 257/428 के 50 बीघा का बंटवारा करवाने का अधिकारी है।

———जिम्मे वादी

3 आया कि वादी चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नं.–258/428 के कुल 24.10 बीघा का खातेदार घोषित किया जाने का अधिकारी है।

----जिम्मे वादी

4. अनुतोष

वाद/अभिवचनों के समर्थन में वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 हरबंश सिंह स्वयं के बयान लेखबद्ध करवाए, पी.डब्ल्यू–कालूराम, पी.डब्ल्यू–गोविन्द राम के सशपथ पत्र पेश हुए। दस्तावेजी साक्ष्य में वसीयत प्रदर्श–1 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श–1 ए, जमाबंदी मुरब्बा नं.–258/428 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2, मुरब्बा नं.–257/428 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 है। मृत्यु प्रमाण पत्र राजकौर प्रदर्श–4 है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4 ए प्रदर्शित करवायी गयी। प्रतिवादीगण की तरफ से डीडब्लयू–1 जगरसिंह एवं डी डब्ल्यू–2 मिठूसिंह के बयान लेखबद्ध करवायें।

तनकीवार न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

1. आया कि राजकौर ने दिनांक 10.08.1984 चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नं.–258/428 के 12.10 बीघा कृषि भूमि की वसीयत वादी हरबंश सिंह के पक्ष में निष्पादित की।

——जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जिसके संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत की गई गवाह पीडब्ल्यू–1 स्वयं वादी जिसमें वादी ने कथन किया है कि विवादित कृषि भूमि चक 4 आर टी एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 258/428, व मुरब्बा नम्बर–257/428 के 50 बीघा भूमि मुझे वादी के पिता तिरलोक सिंह एवं ताया अनूप सिंह को बतौर भाखड़ा भूमिहीन के रूप में आवंटित हुई थी। तिरलोक सिंह के फौत होने के बाद वारिसान राजकौर (पत्नी) एवं तिरलोक सिंह के दो लडके हरबंश सिंह व दलीपसिंह लडकी सरजीत कौर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज किया गया। अनूपसिंह जो लाऔलाद फौत हुआ था। अनूपसिंह व तिरलोकसिंह के दोनों मुरब्बों का घरेलू बंटवारा हुआ था इस घरू बंटवारा से मुरब्बा नं.–258/428 की 25 बीधा हरबंशसिंह व राजकौर ने ली थी। मुरब्बा नं.–257/428 के 25 बीधा भूमि दलीपसिंह व सरजीत कौर ने ले ली थी इसी अनुसार भूमि पर काबिज हो गए थे। कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। घरू बंटवारा में मुरब्बा नं.–258/428 हरबंश सिंह व राजकौर के हिस्सा में आया था। राजकौर ने अपना आधा हिस्सा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत अपने जीवन काल में दिनांक–10.09.1984 को अपने लड़के हरबंशसिंह (वादी) के पक्ष में तस्दीक करवाई जो राजस्व तहसीलदार अनूपगढ द्वारा तस्दीकशुदा है। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने ज[illegible]न किया कि राजकौर पत्नी त्रिलोकसिंह पत्थर नं.–258/428 [illegible] थी, वह 12 बीघा जमीन की वसीयत करने की हकदार नहीं थी। [illegible]कौर का दिनांक–18.05.92 को देहांत हो चुका है।

पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य भी आये कि वसीयत के गवाह नानकराम की मृत्यु दिनांक–27.02.1992 को हो चुकी है। गवाह मूलाराम अब 4 आर.टी.एम. नही रहता। उसका कोई पता नही है जिसकी तस्दीक ग्राम पंचायत 74 जीबी द्वारा की जा चुकी है। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष असल वसीयत प्रदर्श–1, जिसकी प्रति प्रदर्श–1 ए, जमाबंदी मुरब्बा नं.–258/428 व मुरब्बा नं.–457/428 प्रदर्श–2 एवं

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र राजकौर प्रदर्श–4 की गयी। वादी ने उक्त वसीयत को साबित करने के लिए स्वयं के बयानों के अलावा कोई बयान लेखबद्ध नही करवाये है।

चूंकि वसीयत दिनांक–10.09.1984 को निष्पादित की गई थी। मुरब्बा नं.–258/428 व 257/428 के 50 बीघा की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 जो क्रमशः प्रदर्श–2 एवं 3 है, में विवादित आराजी गैर खातेदारी दर्ज है। जिसे ये साबित होता है कि उस दिन विवादित आराजी गैर–खातेदारी भूमि थी। तथा गैर खातेदारी भूमि की वसीयत कानूनन नही की जा सकती। ऐसी वसीयत राज.काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 39 के प्रावधानों के विरूद्ध है। विधि में वसीयत का अधिकार केवल खातेदार कृषक को ही है। वादी ने स्वयं अपने बयानों में स्वीकार किया है कि हमारी जमीन गैर खातेदारी थी। बयानों में ये भी कहा कि मुझे यह नही पता कि मेरी पिताजी की जमीन की खातेदारी कब आई थी। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से तनकी संख्या 1 को साबित करने में वादी असफल रहा है फलतः फलतः तनकी सं.–01 का विनिश्चय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

2. .आया कि वादी चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ के संयुक्त खाता के रकबा मुरब्बा नं.–258/428 व 257/428 के 50 बीघा का बंटवारा करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी की ओर प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2048–51 में विवादित कृषि भूमि राजकौर बेवा त्रिलोकसिंह, दलीपसिंह, हरबंशसिंह, सरजीत कौर पिसरान त्रिलोकसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा अनूपसिंह पुत्र दीवानसिंह कौम बावरी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रतिवादीगण दलीपसिंह व सरजीत कौर की ओर प्रस्तुत किये गये जवाब दावा में दर्ज किया गया है कि मुरब्बा नं.–19 पत्थर नं. –258/428 के किला नं.–5,6,7,14ता16,17,25, कुल 8.04 बीघा दलीपसिंह को व किला नं. –1,2,3,13,17,18,23,24 कुल 8.05 बीघा किला नं.–1/.8,9,10,11,12,20,21,22 कुल–8.07 बीघा भूमि हरबंशसिंह को घरू बंटवारा में मिली। मुरब्बा नं.–20 पत्थर नं.–257/428 अनोपसिंह का जरिए वसीयत वीरसिंह, जसवीरसिंह, जगरसिंह पिसरान दलीपसिंह, गुरदीपसिंह, नसीबसिंह आदि को मिली। इसी अनुसार काबिज हैं। राजकौर पत्नी त्रिलोकसिंह पत्थर नं.–258/428 में 1/4 हिस्सा की हकदार थी इसलिए 12 बीघा की वसीयत करने की हकदार नही थी। पत्थर नं.–258/428 का कानूनी रूप से इंतकाल राजकौर व अन्य वारिसान के नाम से दर्ज हो चुका है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की और घरू बंटवारा न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया है। वादी ने मुरब्बा नं.–258/428 के 24.10 बीघा भूमि का कृषक खातेदार घोषित करने व पत्थर नं.–257/428 के 25 बीधा का प्रतिवादी सं.–1 एवं 2 को खातेदारी कृषक घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वादी को घरेलू बंटवारा स्वीका[illegible] जबकि स्वयं ने मुरब्बा नं. –258/428 के घरेलू बंटवारे का उल्लेख किया है। वादी [illegible] ओर [illegible] किसी प्रकार का घरू बंटवारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पेश [illegible] तनकी संख्या–1 का विनिश्चय भी वादी के विरूद्ध किया गया है इसलिए वादी तनकी संख्या–2 के अनुसार बंटवारा करवाने का अधिकारी नही है। उक्त तनकी सं.–2 [illegible]श्चय भी वादी के विरूद्ध किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:54 IST
Reason: SelfAttested

3. आया कि वादी चक 4 आरटीएम तहसील अनूपगढ के मुरब्बा नं.–258/428 के कुल 24.10 बीघा का खातेदार घोषित किया जाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है चूंकि तनकी संख्या–1 एव 2 को साबित करने में वादी असफल रहा है व उक्त तनकीयात का विनिश्चय वादी के विरूद्ध किया गया है अतः उक्त तनकी का विनिश्चय भी वादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

4. **अनुतोष–**

चूंकि तनकी संख्या–4 अनुतोष से संबंधित है वादी तनकी संख्या–1,2,3 को साबित करने में असफल रहा है इसलिए वादी न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। चूंकि तनकी संख्या–1,2,3 का विनिश्चय वादी के विरूद्ध तय किया गया है। वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में वाद में वर्णित अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। डिक्री पर्चा तदनुसार मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक–28/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.03 14:19:54 IST
Reason: SelfAttested